

IT 10/142
27/10/14

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 17/10/2014

क्रमांक-एफ-12-04/2013/साप्ता./19:- राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के अद्योसरचना विकास कार्यों के ठेकेदारी क्षेत्र में प्रदेश के युवा अभियंताओं को आकर्षित करने, स्वउद्यम की ओर प्रेरित करने, तकनीकी रूप से सक्षम ठेकेदारों की संख्या में वृद्धि करने एवं ठेकेदारों की कार्य संपादन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.08.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांटेक्टर योजना में निम्नानुसार निर्देश जारी करता है:-

1. इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवा इंजीनियर कांटेक्टरों को पंजीयन में विशिष्ट पहचान दी जावे, जिससे भविष्य में इन्हें चिन्हित करने में सुविधा रहे।
2. इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवधि 6 माह के स्थान पर 3 माह रखी जावे, जिसमें 2 माह की फील्ड ट्रेनिंग तथा 1 माह की कार्यालयीन प्रक्रिया का ज्ञान एवं एकेडमिक ट्रेनिंग (क्लास रूम) रखी जावे।
3. इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित इंजीनियर को "सी" श्रेणी में सीधे पंजीयन का प्रावधान किया जावे।
4. "सी" श्रेणी हेतु पंजीयन शुल्क ₹ 10,000/- के स्थान पर ₹ 2,000/- एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹ 2.00 लाख के स्थान पर ₹ 25,000/- किये जाने का प्रावधान किया जावे।

इस योजना में प्रशिक्षित पंजीकृत ठेकेदार को प्रथम 03 वर्ष के लिये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट/बिड सिक्यूरिटी में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावे, परन्तु उपरोक्त छूट ठेकेदार को उस स्थिति में देय नहीं होगी, यदि उसके द्वारा किन्हीं 2 कार्यादेशों को अधूरा छोड़ दिया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव शर्मा)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियंता
मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांटेक्टर प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

I.T. Cell

upload immediately

79

10/15
27/10/14

पृ.क्रमांक-एफ-12-04 / 2013 / सामा. / 19
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17 / 10 / 2014

1. महानिदेशक, आर.सी.पी.व्ही.नरोन्हा प्रशासन अकादमी एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, मान०मुख्यमंत्री, कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय।
4. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
5. अपर मुख्य सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, म०प्र०शासन, मंत्रालय।
7. विशेष सहायक मान०मंत्री, म०प्र०शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय।
8. प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. महालेखाकार म०प्र०, भोपाल / ग्वालियर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
12. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
13. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) निर्माण भवन, भोपाल।
14. समस्त जिला कलेक्टर म०प्र०।
15. समस्त मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. मुख्य लेडी युवा क्लब, म०प्र०।
16. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
17. आदेश पुस्तिका।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

20/10